

अपील प्रकरण क्रमांक 166/बो.प्र./नि.सहा./2021

अपीलार्थी
श्री रवि पेदुरवार (संपादक)
दिव्यांग चेतना,
माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास
कुशालपुर रोड, रायपुर (छ.ग.)
मो.नं.-9425518875

विरुद्ध

उत्तरवादी
श्री एल.बी. शाह
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.12.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री रवि पेदुरवार का प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 06.12.2021 जो कार्यालय में दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 29.12.2021 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी श्री रवि पेदुरवार एवं उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी.शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे।

2 प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 04.10.2021 को जनसूचना अधिकारी, जल संसाधन विभाग, रायपुर को आवेदन प्रस्तुत किया था, जो कार्यालय में दिनांक 08.10.2021 को प्राप्त हुआ। उनके द्वारा कार्यालय से सत्र 2019-20 से 2020-21 के दौरान उपअभियंता पद में की गई अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज, जिनमें रिक्त पद की स्वीकृति, प्रचलित नोटशीट, आवेदकों द्वारा आवेदन प्रपत्रों के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त अनुमोदन, नियुक्ति आदेश, शासन द्वारा उपअभियंता पद के लिए जारी नियम, निर्देश की सत्यापित प्रति की जानकारी चाही गई है। उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी 695 पृष्ठ की होने के कारण, दस्तावेज शुल्क रु. 1390/- जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 02/11/2021 को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया, जो प्रकरण की निर्धारित समय सीमा 30 दिवस के भीतर है। अपीलार्थी को उक्त पत्र समय सीमा में प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर दिनांक 06.12.2021 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

3. उत्तरवादी जन सूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा यह तर्क रखा गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02.11.2021 को अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) द्वारा 695 पृष्ठों की जानकारी जनसूचना अधिकारी को प्रदाय की गई। जिस पर जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्र. 4112275/ 106/छ.ग./2021/9185 दिनांक 02.11.2021 द्वारा शुल्क राशि रु. 1390/- जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जन सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में, सरल क्र. 2 में पूरा पता "समाचार प्लस, राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल रायपुर" अंकित है जिस पर उनके द्वारा संबंधित पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया था जो मूलतः इस कार्यालय को वापिस प्राप्त हुआ है।

जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन पर यह पाया गया कि आवेदन पत्र में सरल क्र. 2 में पूरा पता "समाचार प्लस, राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल रायपुर" अंकित है तथा आवेदन पत्र में नीचे के हिस्से में आवेदन पत्राचार का पूरा पता "रवि पेदुरवार, माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, कुशालपुर रोड रायपुर (छ.ग.)" अंकित है। अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी पत्राचार के पते पर क्यों नहीं भेजी गई पूछा गया। इस पर उनके द्वारा अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा अलग-अलग सूचना प्राप्त करने के लिए 3 आवेदन पत्र इस कार्यालय को एक ही तिथि में प्रस्तुत किये थे। एक अन्य आवेदन पत्र जिसमें उनके द्वारा जल संसाधन संभाग, गरियाबंद के पद पर पदस्थ कार्यपालन अभियंता श्री पी.के. आनंद के बाबत जानकारी चाही थी, उसमें आवेदक का पत्राचार के पूरे पते में "रवि पेदुरवार, ब्यूरो हेड, समाचार प्लस, राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल, रायपुर" पता अंकित किया है। अतः अपीलार्थी को पूरे पते अर्थात् आवेदन के सरल क्र. 2 में पत्राचार का पूरा पता ही अंकित किया जाना था, ताकि प्रकरण से संबंधित पत्राचार उन तक पहुंच सके। उनके द्वारा यह भी सूचित किया कि अन्य 2 आवेदन पत्रों (कार्यालयीन नस्ती क्र. 4112275/107 एवं 4112275/108) में अपीलार्थी को प्रेषित पत्र इस कार्यालय का वापिस प्राप्त नहीं हुए।

4. अपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा यह तर्क रखा गया कि उन्हें 30 दिवस के भीतर जानकारी प्रदान नहीं की गई है। जिसके बाद उनके द्वारा दिनांक 24.11.2021 को कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी के संबंध में पता करने पर बताया गया कि उन्हें रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेज दिया गया है। लेकिन वह पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, पत्र को उनके द्वारा पावती देकर प्राप्त किया गया। पत्र में उनके डाक पते का उल्लेख ही नहीं किया गया है। अतः वह पत्र कार्यालय को वापस आ गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें नियमतः 30 दिवस के भीतर जानकारी नहीं दिया गया। पत्र में डाक पते का उल्लेख नहीं किये जाने हेतु जनसूचना अधिकारी उत्तरदायी है। अतः उन्हें निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु आदेशित करें।

5. अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्थात् प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से जब यह पूछा गया कि अन्य प्रकरण अपील प्र. क्र. 167 में प्रस्तुत दस्तावेज, जो आपके द्वारा आवेदन पत्र जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया था, में आवेदक का पत्राचार का पूरा पता "रवि पेदुरवार ब्यूरो हेड समाचार प्लस राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल रायपुर (छ.ग.)" है तथा आपके द्वारा एक दिनांक 04.10.2021 को प्रस्तुत 3 प्रकरणों में पते अलग-अलग लिखे हैं एवं प्रत्येक आवेदन पत्र में दो अलग-अलग पते लिखे गये हैं, इसका औचित्य क्या है? अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी के अन्य अपील प्रकरण 167 एवं 168 में जिसमें जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, नवा रायपुर द्वारा आवेदन अंतरित किया गया था, पर संबंधित जनसूचना अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन मंडल, बिलासपुर द्वारा प्रेषित किये गये पत्र जिसमें पता "श्री रवि पेदुरवार ब्यूरो हेड समाचार प्लस राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल, रायपुर (छ.ग.)" दिखाया गया एवं पूछा गया कि यह पत्र आपको कैसे प्राप्त हो गया? जबकि इसमें पता ब्यूरो हेड लिखा है।

इस पर अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 04.10.2021 को प्रस्तुत 3 प्रकरणों से संबंधित जनसूचना अधिकारी का पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेरे द्वारा प्रस्तुत 3 में से 2 आवेदनों में आवेदक का पत्राचार का पूरा पता और 1 में पद- ब्यूरो हेड छ.ग. और पते में राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल रायपुर छ.ग. का उल्लेख किया गया है, किन्तु आवेदन में पता माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, कुशालपुर रोड रायपुर का उल्लेख किया है साथ ही 2 आवेदनों में आवेदक के पत्राचार का पूरा पता में

रवि पेदुरवार माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, कुशालपुर रोड रायपुर का उल्लेख किया गया है। उन्हें जनसूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर से दोनों प्रकरण जो जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, रायपुर द्वारा अंतरित किये गये थे, में दिये गये दोनों प्रकरणों के पत्रों की प्रति मेरे डाक पते जो कि आवेदन में मेरे द्वारा “रवि पेदुरवार माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, कुशालपुर रोड रायपुर” का उल्लेख किया गया था, उक्त डाक पते पर उन्हें प्राप्त हुआ जिसके आधार पर उनके द्वारा श्रीमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः उन्हें प्रमुख अभियंता कार्यालय का पत्र जो अंतरित किया गया था वह प्राप्त नहीं हुआ है और जो प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबंधित दस्तावेज के संदर्भ में पत्र दिनांक 24.11.2021 को उपस्थित होकर प्राप्त किया गया।

6. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि अपीलार्थी द्वारा दो पृथक-पृथक पते अंकित कर कार्यालय को गुमराह करने की कोशिश की गयी ? अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी को दिनांक 04.10.2021 द्वारा 3 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जो कार्यालय में दिनांक 08.10.2021 को प्राप्त हुये थे, जिनमें से एक आवेदन पत्र में पत्राचार का पता “श्री रवि पेदुरवार, ब्यूरो हेड समाचार प्लस राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल, रायपुर (छ.ग.)” अंकित है। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उन्हें तीनों आवेदन पत्रों पर उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही प्राप्त नहीं हुयी है। उत्तरवादी द्वारा दो आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर को अंतरित किये गये थे, उनमें एक आवेदन पत्र में पत्राचार का पता “श्री रवि पेदुरवार, ब्यूरो हेड समाचार प्लस राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल, रायपुर (छ.ग.)” अंकित है। अपीलार्थी द्वारा इन दोनों प्रकरणों में भी प्रथम अपील सुनवायी हेतु आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवायी भी आज दिनांक 29.12.2021 को इस प्रकरण की सुनवायी के पूर्व की गयी है। इन दोनों आवेदन पत्रों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर द्वारा प्रेषित मूल पत्र संलग्न किया है। इन दोनों निराकरण पत्रों में दर्शित पत्राचार के पते भी अलग अलग हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने तर्क में यह बताया गया था कि जनसूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर से दोनों प्रकरण, जो जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, रायपुर द्वारा अंतरित किये गये थे, में दिये गये दोनों प्रकरणों के पत्रों की प्रति उनके डाक पते “रवि पेदुरवार माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, कुशालपुर रोड रायपुर” पर प्राप्त हुये हैं। अपीलार्थी के इस तथ्य की जांच हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर से दोनों प्रकरणों में की गयी कार्यवाही की प्रति, डाकघर में की गयी स्पीड पोस्ट की पावती, स्पीड पोस्ट डिलिवरी का कन्फर्मेशन एवं डिस्पेच रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति कार्यालयीन ई-मेल में भेजने हेतु निर्देशित किया गया, जो दिनांक 29.12.2021 को समय 16.05 बजे प्राप्त हुआ। इसके अवलोकन पर यह पाया गया कि जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल, बिलासपुर द्वारा दोनों पत्रों को अलग-अलग पतों पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया है, जिनमें से एक पत्र क्र. 4430/कार्य दिनांक 08.11.2021 को “श्री रवि पेदुरवार, ब्यूरो हेड समाचार प्लस राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज चैनल, रायपुर (छ.ग.)” पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया है, जिसका कंसाइनमेंट क्रमांक RC 319991685IN है तथा यह पत्र अपीलार्थी को डिलिवर हो चुका है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की मंशा उत्तरवादी से बगैर शुल्क के जानकारी प्राप्त कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाने की है।

8. अतः उभयपक्षों के तथ्यों तथा विवेचना के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:—

उत्तरवादी पक्ष अर्थात् जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत प्रकरण के निराकरण हेतु निर्धारित समय सीमा 30 दिवस के भीतर ही कार्यवाही कर अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया था, जो मूलतः कार्यालय में वापिस आया है। अपीलार्थी को अपने आवेदन पत्र में केवल एक ही पता अंकित किया जाना था तथा उनके द्वारा अपने पद का पता अंकित किया जाना आवश्यक नहीं था। जन सूचना अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्रेषित कार्यवाही विवरण अपीलार्थी के पद के पते पर डिलिवर हुआ है। अतः उत्तरवादी जन सूचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही अधिनियम के प्रावधान के तहत सही है एवं अपीलार्थी निर्धारित शुल्क जमा कर वांछित जानकारी जन सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रथम अपील निराकृत की जाती है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से क्षुब्ध पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.), पिन-492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(अरुण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 166/बो.प्र./नि.स./2021/.11050

नवा रायपुर, दिनांक 30/12/2021

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री रवि पेटुरवार (संपादक), दिव्यांग चेतना, माँ दंतेश्वरी मंदिर के पास, कुशालपुर रोड, रायपुर (छ.ग.) मो.नं.-9425518875 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Asookhi
29/12/2021

(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी) एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)